सं. 2[illegible]2/6/2002-स्था.(क)

[illegible]रत सरकार

कार्मिक, लोक [illegible]िकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक [illegible]और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर, 2002

[illegible]र्यालय ज्ञापन

विषय :केन्द्रीय सरकार के कर्मचारि[illegible] को अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा विस्तार/पुनर्नियोजन प्रदान करने [illegible]धी निर्देश जारी करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का [illegible]िदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा [illegible]स्तार/पुनर्नियोजन प्रदान करने संबंधी मानदंड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई [illegible]977 के का.ज्ञा.सं. 26011/1/77-स्था.(ख) में निर्धारित किए गए हैं। मई 1998 में जब केन्द्रीय [illegible]रकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया था, [illegible] बाद 18 मई, 1977 के उपर्युक्त का.ज्ञा. में उल्लिखित कुछ निर्देश अप्रसांगिक हो गए हैं। तद्[illegible]ार, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्री[illegible] सरकार के कर्मचारियों के सेवा विस्तार/पुनर्नियोजन [illegible]ंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाए।

2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके वि[illegible]ेत विशिष्ट आदेश जारी न किए जाने के कारण, एक सरकारी सेवक को नियत तारीख पर अ[illegible]य सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख अग्रिम रूप से ज्ञा[illegible] होती है और सामान्य रूप से कर्मचारी [illegible] सेवानिवृत्त किए जाने संबंधी व्यवस्था पर्याप्त समय [illegible]र्व न कर पाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक अ[illegible]िकारी का दायित्व है कि उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारी नियत तारीख पर सेवानिवृत्त [illegible]

3. **विस्तार** : एफआर 56(घ) यह उ[illegible] करता है कि किसी भी सरकारी सेवक को 60 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में विस्तार प्र[illegible] नहीं किया जाएगा। तथापि, सरकारी सेवकों की कुछ श्रेणियों को ही सेवा विस्तार प्रदान क[illegible] संबंधी प्रावधान नियमों में मौजूद हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंत्रा[illegible]/विभाग द्वारा सेवा में विस्तार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जान[illegible] चाहिए जब तक नियमों में ऐसे मामलों की व्यवस्था न हों।

4. एफआर 56(घ) के प्रथम, द्वितीय [illegible]और तृतीय परंतुक में उल्लिखित कार्मिकों की श्रेणी को सेवा कार्यकाल में विस्तार देने वाले प्रस्त[illegible] को उस तारीख से दो माह पूर्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग को भेजा जा[illegible] जिस तारीख को संबंधित व्यक्ति के अधिवर्षिता प्राप्त

होनी है। वैज्ञानिकों को कार्यकाल विस्तार प्रदान करने की प्रक्रिया डीओपीटी के दिनांक 10.07.2000 के अ.शा.पत्र सं. 28/19/2000-ईओ (एसएम-।।) में निर्धारित की गई है।

5. चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्र में विशेषज्ञों के कार्यकाल विस्तार के मामलों पर विचार करने की प्रक्रिया :

इसका आकलन किया जाना चाहिए कि चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों के कार्यकाल के विस्तार के मामले में भी न केवल अगला व्यक्ति पदोन्नति से वंचित होता है बल्कि प्रायः अनेक व्यक्ति भी सोपान-क्रम में परिणामी पदोन्नति से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार, सेवा में विस्तार अथवा पुनर्नियोजन संबंधी बहुत अधिक मामलों से ऐसे होनहार वैज्ञानिकों में हताशा उत्पन्न होने और उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है जिनके पास संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास का ज्ञान होता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित मानदंड और प्रक्रिया विकसित की गई है कि अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों की सेवा में विस्तार का केवल आपवादिक स्थितियों में ही सहारा लिया जाए। सेवा-काल में विस्तार प्रदान करने के लिए अभिभावी दृष्टिकोण यह है कि यह जनहित में होना चाहिए और इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दो शर्तों में से एक को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए :-

i) कि सेवानिवृत्त होने वाला विशेषज्ञ सर्वोत्कृष्ट अधिकारियों में से मात्र एक नहीं है बल्कि अन्य लोगों से वास्तविक रूप से श्रेष्ठ है; अथवा

ii) कि अन्य विशेषज्ञ इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं।

परीक्षण (ii) केवल तभी पूरा होगा जब विशेषज्ञता विशेष में कोई कमी हो; अथवा यदि उपयुक्त उत्तराधिकारी प्राप्त करना संभव न हो अथवा यदि विशेषज्ञ किसी ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य अथवा परियोजना में लगा हुआ हो जिसके एक अथवा दो वर्षों में परिणाम आने की संभावना हो। यदि अगले निचले पद में विशेषज्ञ इस आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं कि उन्होंने नियमों के तहत निर्धारित निम्न ग्रेड में न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है, तो जब तक ऐसे वैज्ञानिक अपेक्षित सेवाकाल पूरा नहीं करते हैं तब तक उन्हें उच्च ग्रेड में कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। परन्तु ऐसे विशेषज्ञ जो ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है, जिसके लिए कार्य-विस्तार की सिफारिश की गई है, को केवल मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि उनके पास सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ जितना अनुभव नहीं है। उन पर भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और यदि उन्हें उपयुक्त पाया जाता है तो उन्हें सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञों द्वारा रिक्त किए जाने वाले पदों पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

6. जब कभी किसी विशेषज्ञ को सेवा विस्तार देने पर विचार किया जाए, तो उसकी चरित्रावली और व्यक्तिगत फाइल की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और इस बात का निर्णय करने के लिए कि वह विशेषज्ञ सत्यनिष्ठ और ईमानदार है, उपलब्ध सभी अन्य संगत सूचनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां विशेषज्ञ के सत्यनिष्ठ और ईमानदार होने पर विचार नहीं किया जाता है, सेवा में विस्तार के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय के उपयुक्त प्राधिकारी को निम्नानुसार **अनुबंध-I** के साथ सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें वह सेवा विस्तार प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।

"श्री/श्रीमती/कुमारी"_____ _____के चरित्रावली और व्यक्तिगत फाइल की जांच-पड़ताल करने और उपलब्ध सभी अन्य संगत सूचनाओं पर विचार करने के उपरान्त, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि वह सत्यनिष्ठ और ईमानदार है।

7. उच्च पदों पर सेवा विस्तार प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय ऐसे व्यक्तियों के लिए दक्षता उच्चतर मानक को लागू करना अत्यंत आवश्यक है जिनकी उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन के लिए सिफारिश की जाती है। उच्च पदों की संख्या सीमित होनी स्वाभाविक है और कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को उन पदों पर लंबे समय तक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी ऐसे सरकारी सेवक को जिसे निर्धारित सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् सेवा विस्तार दिया गया है, सेवा विस्तार की अवधि के दौरान किसी अन्य पद पर पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए।

8. जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उत्तराधिकारी के चयन की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गयी थी परन्तु तर्कसंगत कारणों की वजह से समय पर चयन नहीं हो सका, सेवा विस्तार पर इस आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि उपयुक्त उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है। सेवा विस्तार प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि विशेषज्ञ के पूर्वाधिकारियों को विस्तार दिया गया था।

9. **पुनर्नियोजन:** सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 60 वर्ष के बाद नियोजन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार की सेवा में कोई भी व्यक्ति अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 60 वर्ष के बाद संविदा के माध्यम से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

10. केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप के तहत के पेंशनभोगियों, जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु पूर्ण नहीं की है, का पुनर्नियोजन इन निर्देशों द्वारा शासित नहीं होगा।

11. परामर्शदाता की नियुक्ति:-

परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु विस्तृत अनुदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 फरवरी, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16012/7/97-स्था.(भत्ता) के द्वारा जारी किए गए हैं।

हस्ताक्षर/-
श्रीमती प्रतिभा मोहन
निदेशक (ई-II)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(मानक सूची के अनुसार)

अनुलग्नक -I

सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा विस्तार देने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों के लिए प्रोफार्मा।

1. पदनाम:
2. पद की अवधि:
3. वेतन एवं पद की शर्तें तथा संलग्न परिलब्धि यदि कोई हो:
4. क्या (2) में दर्शाई गई अवधि के लिए पद के सृजन/पद को जारी रखने के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है
5. भर्ती की पद्धति:
6. पद का नाम तथा सेवामुक्त होने वाले पदाधिकारी की नियुक्ति की अंतिम तारीख:
7. नियुक्ति के लिए प्रस्तावित विशेषज्ञ का नाम तथा सेवा जिससे वह संबंधित है:
8. अधिकारी की जन्म तिथि तथा अनुज्ञेय वेतन सहित पूरी सेवा का विवरण:
9. विचार किए गए अन्य अधिकारियों के नाम:
10. यदि प्रोन्नति पद है तो क्या डी.पी.सी. की कार्यवाही की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं? यदि नहीं, तो इसके कारण बताएं?
11. क्या प्रस्तावित विशेषज्ञ तथा विचार किए जाने वाले विशेषज्ञों की चरित्र पंजी भेजी जा रही है। यदि नहीं, इसके कारण बताएं?
12. कृपया दर्शाएं:
    (i) (क) क्या यह पद वैज्ञानिक अथवा चिकित्सा विशेषज्ञ का है।
    (ख) अधिकारी को पूर्व में प्रदान किए गए सेवा विस्तार की अवधि, यदि कोई हो।
    (ग) वह तारीख जब से विस्तार प्रदान किया जाना है।
    (घ) सेवा विस्तार अवधि
    (ii) विस्तार दिए जाने का औचित्य:
    (क) वह तारीख जब यह ज्ञात हुआ, कि रिक्तियां होने वाली हैं।
    (ख) कालक्रमबद्ध ब्यौरे के साथ उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए की गई कार्रवाई
    (ग) यदि चयन किया जा रहा है, तो सही समय पर इसे पूरा नहीं किए जाने के कारण
    (घ) क्या समुचित चयन प्रक्रिया द्वारा नई भर्ती के लंबित रहने तक स्थानापन्न अथवा वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, यदि नहीं तो इसके कारण बताएं?
    (iii) क्या प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है?
13. क्या उपयुक्त प्राधिकारी का निधारित सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र संलग्न है।